

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 995/2007/भरतपुर

मै० श्री गोपाल दास,
नई मण्डी, भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-बी, भरतपुर
2. उपायुक्त(अपील्स)वा.क.भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल
अधिकृत अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 282/उपा-भरत/ 05-06/आरएसटी पारित आदेश दिनांक 23.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-व्यवसायी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-बी, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 22.07.2003 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 13-क के अन्तर्गत मुक्ति विकल्प योजना प्राप्ति हेतु (वर्ष-2003-04) आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2003-04 की बिक्री के आधार पर रू० 7200/- के टर्नओवर टैक्स प्रशमन के अन्तर्गत होने के बावजूद केवल रू० 825/- जमा कराये जाने पर शेष बकाया प्रशमन राशि रू० 6,375/- जमा नहीं कराये जाने के कारण कर रू० 6,375/- व इस पर ब्याज रू० 1,905/- आदेश दिनांक 05.09.2005 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.01.2007 द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।
3. अपीलार्थी-व्यवसायी के अधिकृत अभिभाषक के बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी कमीशन एजेन्ट है तथा मुख्यतः घोषित वस्तुओं का व्यवसाय करता है। अधिकांश बिक्री कर मुक्त, कर चुकी आदतियों के मार्फत व मिल वालों को की गई है।

लगातार.....2

इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में बिक्री घोषणा पत्र एस.टी.-17 पर पुनः विक्रय की गई है। अपीलार्थी द्वारा टर्न ओवर टैक्स विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2003 को अण्डरप्रोटेस्ट कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलार्थी का व्यवसाय घोषित वस्तु का जिस पर टर्न ओवर टैक्स बनता है इसी कारण अपीलार्थी द्वारा विकल्प लिया जाकर देय किस्त जमा करायी गयी थी फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने शेष राशि जमा न मानते हुए उक्त राशि कर, ब्याज आरोपित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने भी इसे यथावत रखने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने (2007) 19 टैक्स अपडेट पेज 249 पेश करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 13A निम्न प्रकार है-

"13-A. Levy of turnover tax.- (1.) Every registered dealer and every dealer who is liable to get himself registered under section 3, and whose total turnover in a year exceeds three lacs rupees, whether or not the whole or any portion of such turnover is liable to tax under any other provisions of this Act, shall be liable to pay turnover tax, from such date and at such rate as may be notified by the State Government but not exceeding ten percent of his gross annual turnover.

(2.) No tax under sub-section (1) shall be payable on that part of turnover which relates to,-

(i) sale or purchase of exempted goods;

(ii) sale or purchase of goods in the course of inter-State trade or commerce;

(iii) sale or purchase of goods on the course of export out of the territory of India or sale or purchase on the course of import into the territory of India;

(iv) all amounts collected by way of tax under the provisions of this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956);

(v) all amounts allowed to dealers in respect of goods returned to the dealer when goods are taxable on sales provided that the goods were returned within a period of six months from the date of delivery of the goods and the accounts show the date on which, and the amount for which, refund was made;

(vi) all amounts realized by a dealer by the sale of his business as a whole:

and except as provided above, no other deduction shall be made from the gross turnover of a dealer for the purpose of this Section.

(3.) For the purposes of assessment, collection and refund of tax levied under this section, the provisions pertaining to assessment, collection and refund under other provisions of this Act, and rules made thereunder shall mutatis mutandis apply."

6. आयुक्त वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा दिनांक 23.01.2003 को जारी परिपत्र में घोषित वस्तुओं (Declared Goods) पर लगने वाले टर्नओवर टैक्स को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 15(a) की सीमा तक रखने के बारे में जारी किया हुआ है।

7. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण वर्ष 2003-04 में कुल बिक्री 1,69,87,332/- घोषित की है इसमें से कर चुकी बिक्री 1,20,820/- रुपये है। पुनः विक्रय हेतु बिक्री 28,02,031/- रुपये है, कर योग्य बिक्री 15,075/- रुपये है तथा घोषणा पत्र ST-17 के समर्थन पर 2 प्रतिशत की दर से की गई बिक्री 1,40,49,406/- है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए टर्नओवर टैक्स भुगतान का विकल्प प्राप्त किया है। घोषित वस्तुओं की बिक्री पर भी 4 प्रतिशत की सीमा में ही करारोपण किया गया है। अपीलार्थी टर्न ओवर टैक्स भुगतान हेतु दायी है।

दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना निम्न प्रकार है:-

No. F.4(4)FD/Tax Div./99-pt.-59 28.06.2003 published on 30.06.2003

S.O.132- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) and on supersession of this Department's Notification No. F.4 (30) FD/Tax-Div./2002-167 dated 22.03.2002 (as amended from time to time), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts a dealer other than the registered dealers of petrol, diesel, super kerosene oil (SKO) and liquefied petroleum gas (LPG), liable to pay *turnover tax* under section 13A of the said Act, from payment of such tax on the following conditions. namely:-

लगातार.....4


1. That such dealer undertakes to pay exemption fee as per the following table:

S.No.	Annual Gross Turnover during the relevant year	Annual Exemption Fee Payable
1.	Up to Rs. 30 lac	Nil
2.	Rs. 30,00,001/- to 50,00,000/-	Rs. 1,500/-
3.	Rs. 50,00,001/- to 1,00,00,000/-	Rs. 4,500/-
4.	Rs. 1,00,00,001/- to 3,00,00,000/-	Rs. 7,200/-
5.	Rs. 3,00,00,001/- to 5,00,00,000/-	Rs. 18,000/-
6.	Rs. 5,00,00,001/- to 10,00,00,000/-	Rs. 36,000/-
7.	Rs. 10,00,00,001/- to 15,00,00,000/-	Rs. 54,000/-
8.	Rs. 15,00,00,001/- to 25,00,00,000/-	Rs. 90,000/
9.	Rs. 25,00,00,001/- to 35,00,00,000/-	Rs. 1,26,000/
10.	Rs. 35,00,00,001/- to 50,00,00,000/-	Rs. 1,80,000/
11.	Rs. 50,00,00,001/- to 75,00,00,000/-	Rs. 2,70,000/
12.	Rs. 75,00,00,001/- to 1,00,00,00,000/-	Rs. 3,60,000/
13.	Rs. 1,00,00,00,001/- to 2,50,00,00,000/-	Rs. 5,40,000/
14.	Rs. 2,50,00,00,001/- to 5,00,00,00,000/-	Rs. 9,00,000/
15.	Rs. 5,00,00,00,001/- to 10,00,00,00,000/-	Rs. 13,50,000/
16.	Rs. 10,00,00,00,001/- and above	Rs. 60,00,000/

8. अपीलार्थी की सकल बिक्री 1,69,87,332/- रू0 है जो अधिसूचना के क्रम संख्या 04 से आच्छादित है, तथा विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी है अतः दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना के क्रम में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)

अध्यक्ष